मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.

M.A.C.P. No-157 of 2019

श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद, आयु- निवासी- ग्राम श्रीनगर,पोस्ट सिमराहा,थाना- प्रेमनगर, झांसी

--------------- याची

बनाम

1. अनीता मिश्रा पत्नी स्व. श्री सुनील मिश्रा, निवासी-97/5, मनुबिहार कालोनी, सिविल लाइन, थाना-नवाबाद, झांसी

...........स्वामी कार संख्या-UP93BB8250

2. सूर्य प्रकाश कुशवाहा पुत्र श्री अच्छेलाल, निवासी-1476/6, मेडिकल कालेज के पीछे, पिछोर,थाना- नवाबाद, झांसी

...........चालक कार संख्या-UP93BB8250

3. चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरंस कम्पनी लिमि. जरिये प्रबन्धक चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरंस कम्पनी लिमि., सेण्ट फ्रांसिस कालेज 4, मेरीगोल्ड शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ

............बीमाकर्ता कार संख्या-UP93BB8250

4. नरेश कुमार पुत्र श्री किशनलाल, निवासी- 934/4 ग्वालटोली, हंसारी, थाना- प्रेमनगर, झांसी

..............चालक आपे संख्या- UP93BT0828

5. टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.,थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर- 16/116A साई स्कवायर, सिविल लाइन, कानपुर

.............बीमाकर्ता आपे संख्या-UP93BT0828

6. दीपक अहिरवार पुत्र स्व. श्री भगवानदास, निवासी- 94 ग्राम श्रीनगर, पोस्ट सिमराहा, थाना- प्रेमनगर, झांसी

............मालिक आपे संख्या-UP93BT0828

-------------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता-**श्री आलोक कुमार खरे**
विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता-**श्री सुनील शुक्ला**

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची श्रीमती कुसुम देवी मय अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी संख्या-तीन चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या-तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.30,000/- के लिए राजीनामा हो गया है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार खरे के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री सुनील शुक्ला द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याची एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **श्रीमती कुसुम देवी** एवं विपक्षी संख्या- तीन **चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**30,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या- तीन को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के केनरा बैंक के खाता संख्या- 92352010008560 (IFSC: CNRB0019235 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र इस निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 10:32:43 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI